

समाहरणालय, पटना।  
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (क०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—


04-10-2013

आवेदक श्री आबिद अहमद, पिता-स्व० नियाज अहमद, सा०-बी०एम०पी०-14, क्वार्टर नं०-A/12, थाना-हवाई अड्डा, जिला-पटना, स्थायी पता-ग्रा०-शिवली, पो०-दरीकुरा, थाना-आमस, जिला-गया से प्राप्त एक एस०बी०बी०एल० गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-436/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि-04.10.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-04.10.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे बी०एम०पी०-14, पटना में सिपाही-91 हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-80/गो०, दिनांक-17.01.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, हवाई अड्डा के जाँच प्रतिवेदन के अलोक में आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित एवं अनुशंसित कर मूल में संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, हवाई अड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बी०एम०पी०-14, पटना में सिपाही-91 हैं। आवेदक के पिता स्व० नियाज अहमद के नाम पूर्व से उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-836/पी०, पूर्णिया, पटना ओ०डी० सं०-21/139, सदर, पटना पर धारित एक एस०बी०बी०एल० गन सं०-522 है, जिसे आवेदक अपने नाम पर लेना चाहते हैं। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का नाम पता जाँचोपरान्त सही पाया गया तथा उनके विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई प्रविष्टि नहीं है। तदोपरान्त उनके द्वारा जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-12, 13, 14 एवं 15 पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, कोई विशेष कारण अंकित नहीं किया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :




परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संघारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एस०बी०बी०एल० गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री आबिद अहमद, पिता-स्व० नियाज अहमद, सा०-बी०एम०पी०-14, क्वार्टर नं०-A/12, थाना-हवाई अड्डा, जिला-पटना, स्थायी पता-ग्रा०-शिवली, पो०-दरीकुरा, थाना-आमस, जिला-गया के आवेदित एक एस०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।